पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति-वरिष्ठ सहायक-2023-24// 1368 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 02 जुलाई, 2024

-::आदेश::-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार चयन वर्ष 2023-24 में वरिष्ठ सहायक के पद की आस्थगित रिक्तियों के सापेक्ष कराये गये चयनोपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड-1-5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2800) लेवल-5 के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं0	ज्ये0 क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम/श्री/श्रीमती/कु0:-	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम
1	2	3	4
01	3723	विवेक मिश्रा/रामानुज मिश्रा	प्रयागराज
02	4111	सन्तोष कुमार/ जगदीश प्रसाद	आगरा
03	4121	अजय प्रकाश/ सत्य प्रकाश	आगरा
04	4136	दिनेश राजपूत/ पंचम सिह	आगरा
05	4137	सागर कुमार/ रंजीत लाल	प्रयागराज

2- उपरोक्त क्रमांक-01 (ज्येष्ठता क्रमांक-3723) पर अंकित कार्मिक को दिनांक-18-8-2021 एवं क्रमांक-02 (ज्येष्ठता क्रमांक-4111), क्रमांक-03 (ज्येष्ठता क्रमांक-4121), क्रमांक-04 (ज्येष्ठता क्रमांक-4136) तथा क्रमांक-05 (ज्येष्ठता क्रमांक-4137) पर अंकित कार्मिक को दिनांक-16-10-2023 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी / सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस आदि निर्गत हो, सतर्कता जॉच / ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो, तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 18-07-2024 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 20-07-2024 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, प्रयागराज/ आगरा ।

3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग ए/बी प्रयागराज/ आगरा ।

4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, राज्य कर, प्रयागराज/ आगरा ।

6- आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, प्रयागराज/ आगरा ।

7- पटल प्रभारी 4(ख), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।

8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।

(प्रबल कुमार)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।